संख्या-74/2020/120जेपीआर/22-3-2020-800(165)/2017टी0सी0

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
इटावा।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊः दिनांकः 23 अक्टूबर, 2020*

विषय- केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ के सिद्धदोष बंदी प्रभात पुत्र श्री गुरू नारायण, निवासी-ग्राम-जेतपुरा, पोस्ट-चन्द्रपुरा, थाना-लवेदी, जनपद-इटावा को पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1316/प्रो0का0/बंदी-पैरोल-88/2020-21, दिनांक 21-10-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ के सिद्धदोष बंदी प्रभात पुत्र श्री गुरू नारायण, निवासी-ग्राम-जेतपुरा, पोस्ट-चन्द्रपुरा, थाना-लवेदी, जनपद-इटावा को शासनादेश संख्या-65/2020/1379जेएल/22-3-2020-800(165)/2017, दिनांक 11-09-2020 के क्रम में एक माह की पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-74/2020/120जेपीआर(1)/22-3-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in